संख्या:06/2019/15जेएल/22-3-19-100(1)/2019

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2019***

विषय: जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध 05 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-194/सामा-1(3)/गो0परि0(टी-50)/2018, दिनांक 02-01-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध निम्नलिखित 05 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	सि0/वि0 बंदी सीताराम यादव पुत्र श्री रामहित यादव	जि0का0देवरिया	के0का0आगरा
2	वि0 बंदी संदीप राय पुत्र श्री शम्भू राय	जि0का0देवरिया	जि0का0बाराबंकी
3	वि0 बंदी विकास यादव पुत्र श्री रविन्द्र यादव	जि0का0देवरिया	जि0का0सीतापुर
4	वि0 बंदी रूपक चन्द्र राय पुत्र श्री शम्भू राय	जि0का0देवरिया	जि0का0कौशाम्बी
5	वि0 बंदी तारबाबू पुत्र श्री उमाशंकर	जि0का0देवरिया	जि0का0कानपुर नगर

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:06/2019/15जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया/आगरा/बाराबंकी/सीतापुर/कौशाम्बी/कानपुर नगर।
4. पुलिस अधीक्षक, देवरिया/बाराबंकी/सीतापुर/कौशाम्बी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा/कानपुर नगर।
5. अधीक्षक, जिला कारागार देवरिया/बाराबंकी/सीतापुर/कौशाम्बी/कानपुर नगर एवं वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in